(103)

संख्या–1009 /XV-1/14/1(1)/12

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 25 सितम्बर, 2014

विषयः रोजगारपरक योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को अनुदानित मूल्य पर पशु वितरण हेतु पशु क्रय एवं वितरण प्रक्रिया निर्धारित करने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–6488/पशुधन/2013–14 दिनांक 27 मार्च, 2014 एवं पत्र संख्या–1828/पशुधन–तीन/2014–15 दिनांक 13 अगस्त, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय पशुपालन विभाग की रोजगारपरक योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को अनुदानित मूल्य पर पशु वितरण हेतु पशु क्रय एवं वितरण हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. विभाग की रोजगारपरक योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को अनुदानित मूल्य पर पशु वितरित किये जाने हेतु पशु क्रय किये जाने हेतु पशु नस्लवार मानक :–

(क) गोवंशी मादा पशुओं के क्रय हेतु मानक :–

(I) पशु पूर्णरूप से स्वस्थ, रोग मुक्त व व्यवहार/चालचलन संबंधी दोषों से पूर्णतया मुक्त होना चाहिए।

(II) विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत केवल वर्गीकृत देशी एवं विदेशी नस्ल के उन्नतशील पशु अथवा क्रासब्रीड पशु ही क्रय किए जायेंगे, किन्तु किसी भी दशा में स्थानीय अवर्गीकृत (नॉन डिस्क्रिप्ट) पशुओं को क्रय नहीं किया जायेगा।

(III) विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत मादा पशु उनके नवजात बछड़े/बछिया सहित ही क्रय किए जायेंगे तथा बछिया सहित मादा पशुओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

(IV) प्रथम अथवा द्वितीय ब्यॉत वाले मादा पशु, जो अधिकतम 1.5 माह पूर्व ही ब्याहे हों, के ही क्रय पर विचार किया जाएगा।

(V) विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत क्रय हेतु संबंधित पशु का दुग्ध उत्पादन न्यूनतम 8.0 लीटर प्रतिदिन होना आवश्यक होगा। दुग्ध उत्पादन की गणना पशु के निरन्तर तीन समय दुहान पर उत्पादन के औसत के आधार पर की जायेगी।

(ख) महिषवंशी मादा पशुओं के क्रय हेतु मानक :–

(I) पशु पूर्णरूप से स्वस्थ, रोग मुक्त व व्यवहार/चालचलन संबंधी दोषों से पूर्णतया मुक्त होना चाहिए।

(II) विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत केवल वर्गीकृत नस्ल के उन्नतशील पशु अथवा ब्रेडेड/क्रासब्रीड पशु ही क्रय किए जायेंगे। किन्तु किसी भी दशा में स्थानीय अवर्गीकृत (नॉन डिस्क्रिप्ट) पशुओं को क्रय नहीं किया जायेगा।

(III) विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत मादा पशु उनके नवजात कटड़े/कटिया सहित ही क्रय किए जायेंगे तथा कटिया सहित मादा पशुओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

letter_14.doc

(IV) प्रथम अथवा द्वितीय ब्यॉत वाले गाभा पशु, जो अधिकतम 1.6 माह पूर्व ही ब्याहे हों, को ही क्रय पर विचार किया जाएगा।

(V) विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत क्रय हेतु संबंधित पशु का दुग्ध उत्पादन न्यूनतम 6.0 लीटर प्रतिदिन होना आवश्यक होगा। दुग्ध उत्पादन की गणना पशु के निरन्तर तीन समय दुहान पर उत्पादन के औसत के आधार पर की जायेगी।

(ग) अन्य पशुओं (भेड़, बकरी, खच्चर व सूकर) के क्रय हेतु मानकः–

(I) पशु पूर्ण रूप से स्वस्थ, रोग मुक्त व व्यवहार/चालचलन संबंधी दोषों से पूर्णतया मुक्त होना चाहिए।

(II) विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत केवल वर्गीकृत देशी एवं विदेशी नस्ल के उन्नतशील पशु अथवा क्रासब्रीड वयस्क पशु ही क्रय किए जायेंगे, किन्तु किसी भी दशा में स्थानीय अवर्गीकृत (नॉन डिस्क्रिप्ट) अथवा अवयस्क पशुओं को क्रय नहीं किया जाएगा।

(III) निम्नानुसार निर्धारित आयु वर्ग के वयस्क पशुओं के ही क्रय पर विचार किया जाएगाः–

पशु जाति	क्रय हेतु निर्धारित आयु वर्ग
भेड़	12–15 माह
बकरी	12–15 माह
सूकर	12–15 माह
खच्चर/घोड़ा	2.0–2.5 वर्ष

(घ) अन्य सामान्य अनुवेश :–

(I) पशु क्रय के समय संबंधित परियोजना में निर्दिष्ट अन्य दिशा–निर्देशों का भी संज्ञान लिया जाएगा।

(II) पशु क्रय यथा संभव राज्य के अन्तर्गत ही किया जाए। यद्यपि लाभार्थी अपनी इच्छानुसार राज्य के अन्दर अथवा बाहर ऐसे किसी भी पशु को क्रय करने को स्वतंत्र होगा, जो निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

(III) पशु क्रय प्रक्रिया में पशु का चयन/पसन्द/उत्पादन तथा मूल्य निर्धारण स्वयं लाभार्थी द्वारा किया जाएगा।

(IV) उक्तानुसार समस्त मानकों को पूर्ण करने वाले किसी भी पशु को क्रय किए जाने के संबंध में अंतिम निर्णय लाभार्थी का होगा।

(V) लाभार्थी द्वारा पशु चयनित किए जाने के उपरान्त संबंधित पशुचिकित्साधिकारी द्वारा पशु को स्वास्थ्य परीक्षण तथा निर्धारित मानकों के सापेक्ष मूल्यांकन कर बीमा की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।

(VI) पशु परिवहन/ढुलान संबंधित लाभार्थियों द्वारा यथासंभव सामूहिक रूप से एवं पशुपालन विभाग के सहयोग से किया जाएगा तथा पशु परिवहन से संबंधित अनुदान राशि का भुगतान मूल बिलों के आधार पर अकाउण्ट पेई चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित लाभार्थी अथवा वाहन स्वामी को किया जाएगा।

(VII) उक्तानुसार क्रय किए गए पशुओं की उचित देख–रेख, रहन–सहन, भरण–पोषण, खान–पान, प्रबन्धन, समय–समय पर टीकाकरण तथा आवश्यक पशुचिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं लाभार्थी का होगा। लाभार्थी द्वारा समय–समय पर विभाग द्वारा वांछित जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी।

2. गोवंश संरक्षण अधिनियम के सख्त प्रावधानों के कारण तथा इस संबंध में पूर्व अनुभव के अनुसार राज्य के बाहर से पशुओं के परिवहन में अत्यधिक कठिनाईयाँ आती हैं। अतः उचित होगा कि पशु क्रय यथासंभव राज्य के अन्तर्गत ही किया जाय। यद्यपि लाभार्थी अपनी इच्छानुसार राज्य के अन्दर अथवा बाहर ऐसे किसी भी पशु को क्रय करने को स्वतंत्र होगा, जो उक्तानुसार निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

(101)

3. पशुओं के क्रय से पूर्व विशेषज्ञ समिति द्वारा विस्तृत मार्केट सर्वे किया जाएगा ताकि क्रय हेतु पशुओं का न्यूनतम/संभावित मूल्य निर्धारण तथा संभावित क्रय हेतु उपयुक्त संभावित स्थानों/विक्रेताओं को चिन्हित किया जा सके।
4. पशुक्रय प्रक्रिया में पशु का चयन, पसन्द, उत्पादन तथा मूल्य निर्धारण स्वयं लाभार्थी द्वारा किया जाय।
5. लाभार्थी द्वारा पशु चयनित किये जाने के उपरान्त संबंधित पशुचिकित्साधिकारी द्वारा पशु का स्वास्थ्य परीक्षण तथा निर्धारित मानकों के सापेक्ष मूल्यांकन कर बीमा की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।
6. चयनित लाभार्थी/पशुपालक द्वारा संबंधित विक्रेता को पूरी धनराशि देकर पशु क्रय कर लिए जाने के उपरान्त पशुपालन विभाग को मूल क्रय रसीद उपलब्ध करवाई जायेगी। विभागीय अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कर लिए जाने के उपरान्त अनुदान का वितरण सीधे संबंधित लाभार्थी को अकाउण्ट पेई चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा। लाभार्थी के लिखित अनुरोध पर अकाउण्ट पेई चैक/ड्राफ्ट संबंधित पशुविक्रेता को भी उपलब्ध करवाया जा सकेगा। क्रय किए गये प्रत्येक पशु पर अधिकतम अनुदान उसके मार्केट सर्वे द्वारा प्राप्त मूल्य के आधार पर संबंधित योजनान्तर्गत निर्धारित अनुमन्य सीमा तक ही देय होगा।
7. परिवहन बीमा तथा पशु बीमा से संबंधित अनुदान राशि का भुगतान संबंधित पशुचिकित्साधिकारी द्वारा सीधे बीमा कम्पनी को अकाउण्ट पेई चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा।
8. पशु परिवहन/ढुलान संबंधित लाभार्थियों द्वारा यथासंभव सामूहिक रूप से एवं पशुपालन विभाग के सहयोग से किया जाएगा तथा पशु परिवहन से संबंधित अनुदान राशि का भुगतान मूल बिलों के आधार पर अकाउण्ट पेई चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित लाभार्थी अथवा वाहन स्वामी को किया जाएगा।
9. संबंधित योजनान्तर्गत पशु आवास पर भी अनुदान की व्यवस्था होने की स्थिति में पशु आवास की मरम्मत/निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप संबंधित लाभार्थी द्वारा स्वयं करवाया जाएगा तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा पशुआवास का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कर लिए जाने के उपरान्त पशुआवास से संबंधित अनुदान राशि का भुगतान सीधे संबंधित लाभार्थी को अकाउण्ट पेई चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा।
10. उक्तानुसार क्रय किए गए पशुओं को उचित देख–रेख, रहन–सहन, भरण–पोषण, खान–पान, प्रबन्धन, समय–समय पर टीकाकरण तथा आवश्यक पशुचिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं लाभार्थी का होगा। लाभार्थी द्वारा समय–समय पर विभाग द्वारा वांछित जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी।

2. कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

19/5/2017

(डा० रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव